



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 31897 वर्ष 2025

रज्जन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: जी.एस. चौहान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.एस. चौहान और विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह दूसरी जमानत याचिका है। पहली याचिका दिनांक 2.4.2024 के आदेश द्वारा निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दी गई थी:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(क) आवेदक मुख्य हमलावर है और चश्मदीद गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है;

(ख) मुकदमे के दौरान जांचे गए दोनों गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। घटना की प्रकृति और साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, हत्या के मामले में चार साल की कैद को लंबी कैद नहीं माना जाएगा।

3. आवेदक ने धारा 483 के तहत आपराधिक विविध जमानत के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर की है। यह याचिका मुकदमा अपराध संख्या 559 वर्ष 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 506 और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। मामला पुलिस स्टेशन- सिपरी बाजार, जिला - झांसी में दर्ज है।

4. दिनांक 26.9.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित 10 अभियोक्ता गवाहों में से अब तक 7 अभियोक्ता गवाहों की जांच हो चुकी है, अर्थात् उपर्युक्त आदेश पारित होने के बाद से मुकदमे की कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए कहा कि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया और कई विरोधाभास हैं। यहां तक कि आवेदक की घटनास्थल पर उपस्थिति को भी स्पष्ट रूप से नकारा गया है। आवेदक 6.12.2019 से यानी लगभग 6 साल से जेल में है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो वह शेष गवाहों को प्रभावित करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया है, हालांकि वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुकदमा बहुत धीमी गति से चल रहा है और इस बात की कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संभावना नहीं है कि आवेदक शेष अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सके। हालांकि गवाहों के कुछ बयानों का हवाला देते हुए, वे यह तर्क देते हैं कि अभियोजन पक्ष आवेदक के खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम होगा।

7. मैंने उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है और मुकदमे की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, पिछले 6 वर्षों में प्रस्तावित 10 अभियोजन पक्ष के गवाहों में से 7 की जांच हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण गवाहों की जांच पहले ही हो चुकी है। इसलिए न्यायालय का मत है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह किसी भी गवाह को प्रभावित करेगा।

8. तदनुसार, यह दूसरी जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक प्रत्येक माह की 15वीं और 30वीं तारीख को संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहे। अस्पष्ट आधार पर उसकी उपस्थिति से छूट के लिए कोई भी आवेदन अवर न्यायालय द्वारा बिना नोटिस जारी किए जमानत रद्द करने का आधार हो सकता है।

9. आवेदक रज्जन को उपरोक्त मामले (अपराध संख्या) में निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के जमानती पेश करे। न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें लागू की जा रही हैं:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार से हानि या उत्पीड़न नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iii) आवेदक किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए आईपीसी के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) विचारण न्यायालय सभी संभव प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि मुकदमे की सुनवाई शीघ्रता से, अधिमानतः आवेदक की रिहाई के बाद छह महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाए, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा, और अस्पष्ट आधार पर उसकी उपस्थिति से छूट के लिए कोई भी आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा बिना नोटिस जारी किए भी जमानत रद्द करने का आधार हो सकता है।

10. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं।

5 जनवरी 2026

एसबी

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।